



Neutral Citation No. -2026: AHC:124298

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18902/2026

नीरज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: रफीउद्दीन अंसारी

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री रफीउद्दीन अंसारी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री बी.पी. सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को वाद अपराध संख्या 933/2025, अंतर्गत धारा 64, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम तथा धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना-कोतवाली, जनपद-बिजनौर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रारम्भ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रथम सूचनाकर्ता को नोटिस तामील कराया जा चुका है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई अभियोगात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग दो वर्ष पश्चात दर्ज कराई गई है तथा एफ.आई.आर. दर्ज होने की तिथि पर, पीड़िता बालिग थी, क्योंकि स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि 10.07.2007 है जबकि एफ.आई.आर. दिनांक 03.11.2025 को दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि घटना एफ.आई.आर. दर्ज होने से लगभग दो वर्ष पूर्व घटित हुई थी। यह भी कहा गया कि कथित वीडियो को वायरल किए जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 11.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यदि, उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके, तथापि, उन्होंने कहा कि आवेदक के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, परन्तु, केस डायरी में किसी वीडियो को वायरल किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

6. एफ.आई.आर. के अनुसार, प्रथम सूचनाकर्ता एवं आवेदक के मध्य सहमति आधारित संबंध थे, तथापि, यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता के कुछ अश्लील वीडियो तैयार किया तथा उन्हें वायरल कर दिया। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 10.07.2007 है, जबकि एफ.आई.आर. दिनांक 03.11.2025 को दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया गया कि घटना एफ.आई.आर. दर्ज होने से लगभग दो वर्ष पूर्व हुई थी। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा विवेचना के दौरान आवेदक द्वारा वीडियो वायरल किए जाने संबंधी कोई वीडियो प्राप्त नहीं हुआ।

7. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लंबित संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में प्रतिवेदित, के निर्णय में निहित निर्देश तथा इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765 में प्रतिवेदित, में प्रतिपादित जमानत संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- नीरज को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक किसी स्थगन की मांग किए बिना विचारण/अन्वेषण में निष्ठा से सहयोग करेगा।



(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा कराया जाएगा।

12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की नीतिगत रणनीति, *इन री: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4/2021*, 31.01.2023 को निर्णीत, (2024)

10 एस.सी.सी. 685 में प्रतिवेदित, के अनुपालन में इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित की जाए।

01 जून, 2026

अभिषेक

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)